जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 11.05.2026

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चोरी के मामलें में 02 अभियुक्तो को 01-01 वर्ष का कारावास व कुल 2000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 11.05.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तो को 01-01 वर्ष का कारावास व कुल 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा चन्द्रवती देवी पत्नी रामरतन द्वारा अभियुक्तगण शहनवाज उर्फ सेराज पुत्र स्व0 जुल्फिकार अहमद निवासी अमगिलिया थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ व जैनुद्दीन पुत्र स्व0 कमरुद्दीन निवासी सैद गोरारी थाना खतासराय जनपद जौनपुर को बकरी चोरी के आरोप में थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार चौधरी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 268/2025 धारा 303(2),317(2) थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण शहनवाज उर्फ सेराज व जैनुद्दीन को जुर्मस्वीकार के आधार पर दोषसिद्ध को 01-01 वर्ष का कारावास व 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चोरी के मामलें में 02 अभियुक्तो को 01-01 वर्ष का कारावास व कुल 6000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 11.05.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तो को 01-01 वर्ष का कारावास व कुल 6000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा राजन गौड़ पुत्र स्व0 रामकुमार गौड़ निवासी बड़ी सरौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्तगण शहनवाज उर्फ सेराज पुत्र स्व0 जुल्फिकार अहमद निवासी अमगिलिया थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ व जैनुद्दीन पुत्र स्व0 कमरुद्दीन निवासी सैद गोरारी थाना खतासराय जनपद जौनपुर को दिनांक 16/17.05.2025 को बोलेरो गाड़ी चोरी के आरोप में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री मोतीलाल यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 433/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण शहनवाज उर्फ सेराज व जैनुद्दीन को जुर्मस्वीकार के आधार पर दोषसिद्ध को 01-01 वर्ष का कारावास व 3000-3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 30-30 दिवस का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत सम्बन्धित 164/2026 धारा 191(2) / 115(2) / 352 / 351(3) / 109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01. सुनिल कुमार पुत्र हरिनरायन निवासी ग्राम नन्दौर 02. हरिनरायन पुत्र बेचन निवासी ग्राम नन्दौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 11.05.2026 को नन्दौर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 10.05.2026 को वादिनी श्रीमती सीमा पत्नी गब्बूलाल निवासी नन्दौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर जमीन व पैसे की बात को लेकर उनके पुत्र सुमित को नन्दौर चौराहे पर जान से मारने की नीयत से मारपीट के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त को आज दिनांक 11.05.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- वरि0उ0नि0 श्री राजेश कुमार, हे0का0 अमित सिंह , का0 प्रमोद शर्मा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 15 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 161 वाहनों से 1,97,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 11.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 161 वाहनों से 1,97,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।